संख्या-154/2021/831/22-2-2021-17(399)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2021***

विषय:-जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शैलेश सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र श्री पशुपति नाथ सिंह, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शैलेश सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र श्री पशुपति नाथ सिंह, जो महदेवा, थाना-बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज का रहने वाला है। दुकान से उधार लिए गये सामान का पैसा मांगने के कारण बन्दी द्वारा दिनांक 21-11-2004 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर खुर्शीद आलम नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-17/2005 एवं 18/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 तथा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-2, महराजगंज के आदेश दिनांक 26.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.11.2020 तक 15 वर्ष, 10 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 10 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज ने बन्दी द्वारा कृत कार्य/अपराध जघन्य कोटि का है, जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आने, रिहा होने पर अपराध करने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जाने, के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी शैलेश सिंह उर्फ बबलू सिंह (बन्दी संख्या-106/2013) पुत्र श्री पशुपति नाथ सिंह, निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-154/2021/831(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in